Nature Code
Our planet is not for sale

Carbon Market Watch

जून 2014

पारखी नज़र

कार्बन Voices पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

सम्पादकीय

प्रिय मित्रों,
हमें पारखी नज़र के इस संस्करण को प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पत्रिका में हमारे भारतीय सहकर्मियों द्वारा भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किस प्रकार पर्यावरण के दीर्घकालिक विकास को सम्बोधित करेंगे इस बात का विश्लेषण किया जाएगा। इसका एक विशेष केन्द्र उन मित्रों का संघर्ष भी होगा जो वे लोग उन प्रोजेक्टों के खिलाफ कर रहे हैं जो कि सी डी एम के अर्न्तगत नहीं आते। ग्वाटामाला में सैन्टा रीटा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड इस बात पर निर्णय लेने वाला है कि इस प्रोजेक्ट का पंजीकरण किया जाए या नहीं क्योंकि इसने समाज से परिचर्चा के नियम को ताक पर रखा है और प्रभावित समुदायों को कथित धमकियों व जान से मारने के किस्से सामने आए हैं। यह पहला प्रोजेक्ट है जिसका पुनरीक्षण सी डी एम बोर्ड ने इस आधार पर किया है कि इसमें सही तरीके से साझेदारों से परिचर्चा नहीं की गई। भारत के हमारे कई मित्रों ने यह बताया है कि दो भयंकर कोयला पावर प्लांटों - रिलायेन्स पावर का सासन प्रोजेक्ट और अदानी पावर का मुंद्रा प्रोजेक्ट, के स्थानीय गंभीर प्रभावों के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं और इन्हें कार्बन केडिट भी मिलते जा रहे हैं, और यह सब राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने के बाद हो रहा है। इन अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि सी डी एम के नियम एक सुदृढ़ सार्वजनिक प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए व नुकसान होने कि स्थिति में एक कारगर उपाय निकालने के लिए उतने मज़बूत नहीं हैं। दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने व मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए ये मुख्य आधार होने चाहिएँ। सी डी एम सुधार की प्रकिया में इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखने की आवश्यकता है।

पारखी नज़र! के अपने पिछले विशेष वर्कशॉप संस्करण जो कि मानव अधिकारों व कार्बन बाज़ारों पर केन्द्रित था, को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार क्लाइमेट स्मार्ट कृषि का विकास हो रहा है और यह भी पता करने का प्रयास करेंगे कि इस सिद्धान्त को कार्बन बाज़ारों से जोड़ने के खिलाफ आवाज़ क्यों ज़ोर पकड़ रही है। अन्त में हमने हमारे उस सहकर्मी के अनुभवों को, जो अभी हाल में भारत के सकिय प्रतिभागियों के साथ काम करके आए हैं, यहाँ बाँटा है। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड के निर्माण के विकास पर नज़र डालेंगे जिसने की काम करना शुरू कर दिया है और अब वह क्लाइमेट फाइनेन्स को भी अपने में लाना चाहता है।
यहाँ पर यह सब पढ़ने का आनन्द लें!

'पारखी नज़र! कार्बन बज़ारों पर एन जी ओ की आवाज' अंग्रेज़ी व हिन्दी में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका है जो अभियान की नवीनतम जानकारी व दुनिया भर के नज़रियों के लेखों के साथ निकलती है। यदि आप इसके अगले संस्करण में योगदान देना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव या टिप्पणी हैं तो कृप्या urska.trunk@carbonmarketwatch.org पर सम्पर्क करें।

विषय वस्तु :

भारत में राजनैतिक पार्टियों के द्वारा पर्यावरण मुद्दों को निपटाने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी
पेज 2

जब सी डी एम का एक प्रोजेक्ट गृह युद्ध की याद दिलाए
पेज 5

पावर के सासन अल्ट्रा मेगा कोयला पावर प्लांट के "स्वच्छ विकास की कहानी"
पेज 7

अदानी पावर लिमिटेड की स्वच्छ विकास प्रणाली का विरोधाभास
पेज 8

क्लाइमेट स्मार्ट मिटिगेशन की कमियाँ
पेज 10

क्या कार्बन केडिटों ने छोटे व हाशिए के किसानों को लाभान्वित किया है?
पेज 11

भारत में सी डी एम प्रोजेक्टों की एक यात्रा
पेज 12

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड के लिए 'बहिष्करण लिस्ट'
पेज 14

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़
पारखी नज़र! सूचनापट्ट
पेज 16

भारत में राजनैतिक पार्टियों के द्वारा पर्यावरण मुद्दों को निपटाने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी

महेश पांड्या, निदेशक,
पर्यावरण मित्र

चित्र : sfgate.com

भारत में अब नतीजों के बाद जब यह तय हो गया है कि नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, हरेक का ध्यान इस बात पर केन्दित हो गया है कि नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के वचन को वे किस प्रकार पूरा करेंगे। परन्तु उनके पर्यावर्णीय घोषणा पत्र का क्या? बीजेपी के साथ साथ सभी पार्टियों ने एक ऐसे दीर्घकालिक विकास की उद्घोषणा की थी जो कि पर्यावरण की सुरक्षा को औद्योगिक व आर्थिक विकास के समकक्ष रखेगा परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके सुझाव वास्तव में कारगर होंगे। इसके साथ साथ सभी पार्टियों ने यह भी वचन दिया था कि प्रत्येक भारतीय के लिए व उसकी आने वाली पुश्तों के लिए दीर्घकालिक विकास किया जाएगा परन्तु वास्तव में कानूनों को सही तरह से लागू करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है।

कॉन्ग्रेस शायद वह पार्टी है जिसके घोषणा पत्र में पर्यावरण सुरक्षा की बात काफी बढ़ चढ़ के बोली गई थी परन्तु उसके द्वारा लिए गए कदम काफी नहीं हैं।
वे एक बिल लाना चाहते थे ताकि एक नैशनल एन्वायरॉन्मेन्टल अप्रेज़ल एन्ड मॉनिटरिंग अथॉरिटी (एन ई ए एम ए) का निर्माण हो जो कि एक ऐसी एजेंसी बने जो पर्यावरण क्लीयरेन्स दे सके। परन्तु यह बिल **2011** से लंबित है और इस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। यह सुझाव मंत्रालय में दब कर रह गया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर **2011** में पास कर दिया था। इसे अक्सर लैफार्ज जजमेन्ट के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय का इस विषय में यह कहना है कि यह केवल कोर्ट का एक सुझाव था न कि ऑर्डर।

वह नदियों को भी व्यापक स्तर पर साफ करना चाहते थे जैसा कि गंगा नदी के लिए नैशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि सफाई काम का केवल एक भाग ही है। वास्तविक बदलाव लाने के लिए व्यापक जागरूकता लानी होगी ताकि लोग नदियों में कूड़े का निस्तारण न करें। इसके साथ साथ उद्योग भी नदियों के प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत होते हैं। निरंतर जॉच होते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी कम्पनियॉ नियमों की इज़्जत करना सीखें।

कॉन्ग्रेस के द्वारा लॉन्च की गई पहल 'ग्रीन नैशनल अकाउन्ट्स' के हालांकि मन्सूबे सही थे परन्तु उसका कार्यान्वन मुश्किल था क्योंकि काफी कुछ ज़रूरी ऑकड़े एकत्रित करना कठिन था क्योंकि वह कभी जमा किए ही नहीं गए या कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके साथ साथ सब चीज़ों की कीमत ऑकना जैसे कि मूलभूत सुविधाओं से लेकर हवा की गुणवत्ता तक, एक बहुत कठिन काम था। इसीलिए वह केवल एक आदर्श बनकर रह गया।

नैशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेन्ज के विषय में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका प्रभाव काफी कम होगा क्योंकि मौसम परिवर्तन एक अर्न्तराष्ट्रीय संकट है जिसमें कि न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व घिरा हुआ है। और ऐसा भी लगता है कि वे विकसित देशों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं और वर्तमान स्थिति के लिए उन्हें ही ज़िम्मेदार भी ठहराते हैं। इस प्रकार की सोच से मौसम सम्बन्धी कोई भी मुद्दे नहीं सुलझ सकते। कॉन्ग्रेस के अर्न्तगत सरकार ने यह यह वचन दिया था कि वह देश की बायोडाइवर्सिटी को बचाएगी और साथ साथ वह कोयला खनन को बढ़ाने वाली आक्रामक पॉलिसियों और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देती गई जिसने पर्यावरण को नष्ट करके अनेक प्रजातियों को भी समाप्त कर दिया। इसके कारण कई हज़ार लोगों को अपने घरों को छोड़ कर जाना पड़ा।

आम आदमी पार्टी जो कि एक नई जन्मी पार्टी है, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (मार्क्सिस्ट) और सी पी आई ये तीन राजनैतिक पार्टियॉ हैं जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान देना ही नहीं चाहतीं। इनके घोषणा पत्रों में पर्यावरण का नाम भर का भी ज़िक्र नहीं है।

पर्यावरण मित्र

हमारा लक्ष्य सामाजिक अन्याय, मानवाधिकार उल्लंघन व विकास के प्रोजेक्टों/प्रकियाओं में इकोलौजिकल/पर्यावर्णीय असंतुलन पर केन्द्रित होकर इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना है।

आम आदमी पार्टी भारत के लिए इकोलौजिकल दीर्घकालिक आर्थिक व्यवस्था की बात करती है परन्तु उसकी सुरक्षा का नाम भी नहीं लेती। वे केवल मूल सुविधाओं जैसे कि सबके लिए भोजन व पानी प्रदान करने की बात करती है परन्तु इनसे पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी। उनके द्वारा यह कहा गया है कि 'मानव व इकोलौजिकल सम्पत्ति' को लगातार पोषित किया जाएगा। परन्तु यह कहीं भी स्पष्ट नही है कि यह सम्पत्ति किस प्रकार पोषित होगी या इसका संरक्षण कैसे होगा।

अपने घोषणा पत्र में सी पी आई एम ने वन्यजीवन के संरक्षण का ज़िक कहीं भी नहीं किया है जो कि व्यापक औद्योगिकरण के कारण खतरे में है।

इन सबके बावजूद बीजेपी एक ऐसी पार्टी प्रतीत होती है जो कि पर्यावरण संरक्षण का केवल एक मज़ाक बनाकर रखती प्रतीत होती है। बीजेपी घोषणा कहती है: अच्छी जगह की मॉग, सबके लिए एक बेहतर पर्यावरण आज व भविष्य में। वे दीर्घकालिक विकास के लिए मानव जीवन के एक सम्पूर्ण नज़रिए के विषय में बात करती है। चाहे वह केवल कागज़ों तक ही सीमित है परन्तु बीजेपी पर्यावरण की सुरक्षा को समर्थन देती है परन्तु गुजरात में प्रणालियॉ वर्तमान मुख्य मंत्री (जो कि प्रधान मंत्री पद के दावेदार भी हैं) नरेन्द्र मोदी के अधीन काफी भिन्न हैं। कई स्थानों पर विशेषकर तटीय क्षेत्रों में लापरवाह व गहन औद्योगिक विकास के चलते प्रदूषण फैला हुआ है। जो एजेन्सियॉ पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं वे अपने निरीक्षण के काम को गंभीरता से नहीं कर रही हैं। इस अनदेखी का सबूत यह है कि सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ऑफ इन्डिया ने गुजरात को **2010** में सबसे अधिक प्रदूषित राज्य घोषित किया था। यह सत्य है कि प्रदूषण श्री मोदी के आने के पहले ही शुरू हो गया था परन्तु आने के बाद से उन्होंने उसके सुधार के लिए कुछ नहीं किया है।

अन्य विकासशील देशों की ही तरह प्रभावशाली औद्योगिक तरक्की से गम्भीर व बढ़ती हुई दर से प्रदूषण भी बढ़ा है। हवा व पानी का प्रदूषण, ठोस व ज़हरीले अवशेष व भूमि का गिरता हुआ स्तर इन सबसे जुड़ा हुआ भाग ही है। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों से निकलने वाली कोयले की राख से लेकर गोल्डन कॉरिडोर के नदियों, जंगलों, घाटियों व गुफाओं में फेंके जाने वाले अवशेषों के कारण होने वाली पर्यावरण की दुर्दशा काफी हद तक बिना किसी प्रतिबन्ध के जारी है।
बीजेपी ने हिमालय की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता दिखाई है परन्तु पश्चिमी घाटों पर और दलदली भूमि व इस क्षेत्र के वन्य प्राणियों के संरक्षण की अनदेखी की है। घोषणा पत्र में वन्य जीवों के संरक्षण का नाम मात्र का ज़िक है।

सम्पूर्ण घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी अस्पष्ट सा दिखाई देता है। न तो यह कोई ठोस तरीके अपनाने की बात करता है और न ही वर्तमान तरीकों में सुधार की। बीजेपी पर्यावरण कानून को इस प्रकार बनाना चाहती है जिसमें की अस्पष्टता के लिए कोई जगह न हो व जिसमें बगैर देरी के तुरन्त प्रस्तावों को पास किया जा सके। इसमें एक भय यह हो सकता है कि प्रोजेक्टों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में कहीं पर्यावरण पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभावों की अनदेखी न हो जाए।

अब जबकि **20** मई को श्री नरेन्द्र मोदी का चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में हो चुका है और उन्होंने एक बहुत आशावादी व भावानात्मक भाषण दिया है, हम इस बात के कयास लगा सकते हैं कि वे पर्यावरण के मुद्दों जैसे कि मौसम परिवर्तन पर इस देश के लिए जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश है, उस पर क्या करेंगे और क्या नहीं।

जो बात एकदम एकदम निश्चय के साथ कही जा सकती है वह यह है कि मोदी को शब्दों के साथ खेलना आता है। उन्हें जनता को मन्त्रमुग्ध करने की कला आती है और वे नये व बढ़िया तरीकों की घोषणा करते रहते हैं। इनमें से एक मौसम परिवर्तन का मन्त्रालय बनाना हो सकता है, जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गुजरात में किया था और वे दुनिया में ऐसा करने वाले पहले नेता बन गए थे। इस नए मन्त्रालय में वे नैशनल एक्शन प्लान को डाल सकते हैं और गंगा सफाई अभियान की शुरूआत भी कर सकते हैं।

हमने श्री मोदी के कार्यकाल को गुजरात में देखा है जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक सी डी एम सेल की शुरूआत की थी जो कि बेकार साबित हुआ। सी डी एम प्रोजेक्टों जैसे कि नवीनतम विंड मिलों की शुरूआत उन्होंने की जो कि भूमि को नष्ट करती थीं और मूल निवासियों के घर नहीं तो नौकरियॉ छीन रही थीं। मूल निवासियों के पास बिजली भी नहीं है जबकि हमें यह मालूम है कि भारत में बिजली की अधिक पैदावार है व श्री मोदी ने कहा है कि उनके पास इन प्रोजेक्टों के माध्यम के **2000** मेगावाट अतिरिक्त बिजली है।

परन्तु विडम्बना यह है कि मोदी स्वयं को भारत के अल गोर समझते हैं। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है 'अ कन्वीनिएन्ट एक्शन: गुजरात्स रिस्पॉन्स टू चैलेन्जेज़ ऑफ क्लाइमेट चेन्ज' जिसमें वह इस बात को उजागर करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार पैसा बनाया जा सकता है। उन्हें श्री बन की मून ने सितम्बर **2014** में होने वाले मौसम परिवर्तन के एक सम्मेलन में आमन्त्रित किया है। मेरा अनुमान है कि वे इस अवसर का उपयोग ने केवल ओबामा से मिलने के लिए करेंगे बल्कि पर्यावरण रक्षक के रूप में भी सामने आएँगे।

चुनावों में लड़ने वाली तीन प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में पर्यावरण को छुआ तो ज़रूर है परन्तु बड़ी व गम्भीर समस्याओं जैसे कि विगड़ता जा रहा प्रदूषण व उन अनुमानों, जिनके अनुसार **2030** तक देश की पानी

चित्र Firstpost India

की आपूर्ति आधी रह जाएगी, जैसे मुद्दों पर ज़्यादा बोला नहीं है। सम्पूर्ण रूप से सभी राजनैतिक पार्टियों ने ऊपरी तौर पर दीर्घकालिक विकास की बात की है और उन ठोस तरीकों की जिन्हें वे पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग में लाएँगे उनके लिए वे कोई भी कारगर कदम उठाते नहीं दिखाई देते व प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के प्रति वे बहुत नम्र रवैया दिखाते हैं जबकि यह भारत को प्रदूषित कर रहे उद्योगों को रोकने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है।

चित्र pinterest.com (Million Dollar For Corporation)

अब श्री मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हमारी इच्छा है कि वह प्रकृति के मित्र बनकर अपनी कही हुई बातों को सच साबित करके दिखाएँ।

जब सी डी एम का एक प्रोजेक्ट गृह युद्ध की याद दिलाए

एन बोरडैटो, एक्टिविस्ट,
कलेक्टिवो माद्रेसेल्वा

चित्र: carbonmarketwatch.org

1996 में ग्वाटामाला में 36 वर्षों के आन्तरिक गृह युद्ध के बाद शान्ति बहाल की गई (करीब 2000000 मौतें जो अधिकतर मायन लोगों की थीं) और बिजली का एक नया कानून पास किया गया। यह निजिकरण और उदारीकरण की एक नीति थी ताकि बाहरी निवेश को लाया जा सके जो कि प्राकृतिक संसाधानों के हनन से होता। इससे वर्तमान में हो रहा इकोलौजिकल और आर्थिक संहार सामने आ रहा है।

शान्ति के समझौते में कहा गया है कि "किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने से पहले जो कि प्राकृतिक संसाधनों का हनन करता है और मूल निवासियों के रहन सहन और जीवन यापन के लिए खतरा बन सकता है, उनकी सहमति लेना आवश्यक होगा"। यह आई एल ओ के कन्वेनशन नम्बर 169 की राय से भी मेल खाता है। परन्तु सैन्टा रीटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि यह प्रकिया अपनाई ही नहीं गई।

सैन्टा रीटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उन तीन विकसित हो रहे प्रोजेक्टों में से एक है जो कि इकबोले नदी पर है जो कि कोबान म्यूनिसिपैलिटी जो ग्वैटामाला के एल्टा वेरापाज़ क्षेत्र में हैं। इस प्रोजेक्ट का विरोध वहाँ के समुदाय के द्वारा उसके पर्यावर्णीय व सामाजिक प्रभावों के कारण और सामुदायिक चर्चा के अभाव में किया जा रहा है जो ग्वाटामालन एग्रीमेन्ट ऑन आइडेन्टिटी एन्ड राइट्स ऑफ इन्डीजिनस पीपल का अभिन्न अंग है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए तेजुलुतलान के काउन्सिल ऑफ पीपल ने सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड से इस प्रोजेक्ट को पंजीकृत करने से मना किया।

इस क्षेत्र में यह कम्पनी सबसे पहले सेन्टर फॉर रूरल डेवेलपमेन्ट जिसे स्पैनिश में सी ई डी ई आर कहते हैं और जो एक एन जी ओ है, और जिसका दायित्व हाइड्रोइलेक्ट्रिका सैन्टा रीटा की सामाजिक दायित्व पॉलिसियों को लागू करना है, उसके माध्यम से आई। 2009 में जनता के साथ परिचर्चा का आरम्भ हुआ परन्तु यह केवल एक समझौता मात्र बन कर रह गई न कि पहले की तरह स्वतन्त्र व जागरूक प्रकिया। कम्पनी ने यह दावा किया कि उसने एक संपूर्ण साझेदारों की परिचर्चा प्रकिया की थी जिसमें कि सभी स्थानीय प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की गई थी। हालांकि वास्तविकता कुछ और ही है: 22 समुदायों मे से केवल 8 के लोगों को एक होटल में मीटिंग के लिए बुलाया गया था जबकि सामान्य तरीका यह होता है कि माया क्विची लोग इस प्रकार की बातें खुल कर पूरे समुदाय के लोगों के सामने करते हैं।

2010 में वे 22 समुदायों ने जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे एकजुट होकर मीटिंगें बुलाकर प्रोजेक्ट पर चर्चा करना शुरू कर दिया और सी ई डी ई आर को यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। उसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रतिरोध बना हुआ है जिसमें कि कम्पनी के साथ समझौते व प्रदर्शन जारी हैं। इस प्रकिया के फलस्वरूप 2012 में भवन व मशीनों को हटा दिया गया। हालांकि वर्तमान हालत से पता चलता है कि इस क्षेत्र में शान्ति के लिए की जा रही बातचीत से वह बहाल नहीं हो पाएगी।
ग्वाटामाला की सरकार जिसका काम जनता के अधिकारों के लिए खड़े होना है ने केवल निजी निवेश के द्वारा अपनी ही स्थिति को मज़बूत किया है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मिलिट्री कैम्प स्थापित किया गया परन्तु समुदाय के लोगों के कहने पर हटा दिया गया।

इसके बाद से विभाग के गर्वनर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के निर्माण के लिए चर्चा में जुटे हैं। हालांकि बातचीत से ज़्यादा इन चर्चाओं में यह पता लगाया जाता है कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। इससे स्थानीय जनता जो कि प्रोजेक्टों का विरोध करती रहती है उस पर दबाव पड़ता है।
सी डी एम का एक लक्ष्य दीर्घकालिक विकास पर ज़ोर देना है परन्तु सैन्टा रीटा में कोई भी दीर्घकालिक जैसी बात दिखाई नहीं देती। वह मानवधिकार उल्लंघन, मौत और ग्वाटामाला में सी डी एम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बगैर

MadreSelva
COLECTIVO ECOLOGISTA

माद्रेसेल्वा

सकियतावादियों का एक ऐसा समूह है जिसने प्रकृति के राजनैतिक व सामाजिक दृष्टिकोणों से हित में काम करने का बीड़ा उठाया है। वे उन प्रस्तावों का समर्थन करते हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हैं और उन प्रोजेक्टों का विरोध करते हैं जो सन्तुलन व इकोलौजिकल प्रकियाओं के लिए खतरा हैं।

स्थानीय लोगों से परिचर्चा किए लागू करने का एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से ग्वाटामाला में सैन्टा रीटा एक इकलौता ऐसा केस नहीं है। कम्वलान, पालो विएजो व ज़ैकवल केसों में भी इन्हीं नेताओं के अपराधीकरण और जनता व भ्रष्टाचार के बीच का तनाव दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए किए जाने वाली रोक थाम की निन्दा की जाती है इस बात को न समझ पाने के लिए कि विकास को नहीं समझा जाता। परन्तु मूल निवासियों के लिए बिजली का कितना लाभ है इस बात को वे नहीं समझते। वे बिजली का फायदा तो नहीं उठा पाते परन्तु सारे नुकसान सहते हैं। उन्हें देश व मल्टीनैशनल कम्पनियों के लाभ के लिए क्यों अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है ?

यह एक विडम्बना ही कही जाएगी कि सी डी एम जो कि हमारे संसार को बचाने के लिए की जाने वाली लड़ाई में सबके सहयोग का प्रतीक है वह ही उन प्रोजेक्टों को बढ़ावा दे रहा है जो सीधे सीधे मूल निवासियों के जीवन के लिए खतरा हैं। इन प्रोजेक्टों को रोकना होगा।

प्रोजेक्ट के लिए समुदायों का विरोध इसलिए है कि उनकी जीवनशैली नदियों पर निर्भर है क्योंकि उसका प्रयोग वे इधर उधर आने जाने, भोजन, सिंचाई, पीने के पानी आदि के लिए करते हैं। ग्वाटामाला में पानी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है व इकोलॉजिकल बहाव सूखे मौसम के बहाव का 10 प्रतिशत है। मानवाधिकार ऑम्बड्समैन की रिर्पोट के अनुसार बाँध के बाद जनता की पहुँच केवल मिट्टी तक होती है।

सैन्टा रीटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक पुनरावृत्ति

- बगैर स्थानीय साझेदारों से परिचर्चा किए प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाने के लिए इजाज़त दे दी गई।
- सामुदायिक नेताओं पर हुए अत्यचारों के कारण **2** बच्चों, दो बालिगों की मौत हो गई और **9** लोग जिनमें कि एक विकलांग था को शारीरिक चोटें आई और **13** नेताओं के साथ कानूनी हस्तक्षेप के अर्न्तगत मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ जिनमें से **3** अभी भी जेल में हैं।
- प्रोजेक्ट से नकारात्मक पर्यावर्णीय व सामाजिक प्रभाव पड़े हैं।
- कम्पनी के द्वारा सरकार के सहयोग से लगातार शोषण होने (जबकि पी डी डी के द्वारा 'अच्छे पड़ोसी' की पॉलिसी अपनाए जाने पर भी) व स्थानीय एन जी ओ के बीच बचाव करने पर भी स्थानीय जनता की शांति व एकता भंग हुई।
- नदियों के लिए मिली छूट को भी पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन से पहले ही समाप्त कर दिया गया (जबकि यह प्रावधान है)
- रिज़वॉयर व बाँध के क्षेत्र में पी डी डी के पास पर्यावर्णीय प्रभावों की पूरी जानकारी का अभाव था क्योंकि इकोलॉजिकल बहाव पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावर्णीय अध्ययन में बताई गई क्षमता पी डी डी में दी गई क्षमता से अलग थी।
- पी डी डी में बताया गई जनता से परिचर्चा हाइड्रो पावर प्लांट के पहले के डिज़ाइन की थी जिसमें कि प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले सभी समुदायों को ध्यान में नहीं रखा गया था। पी डी डी की बताई हुई धारणाओं को समुदायों ने नकार दिया।
- यह प्रोजेक्ट अतिरिक्त नहीं है क्योंकि कम्पनी के सामाजिक दायित्व में बदलाव **2007** में शुरू हो गया था और पहले डिज़ाइन व उसके प्रभाव का अध्ययन **2/8/2008** के पहले ही हो गया था।
- टेजुलुट्लान लोगों के काउन्सिल ने सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड से सैन्टा रीटा प्रोजेक्ट को पंजीकृत न करने की मॉग की थी ताकि जनता जिस डर में जीती है उसे दूर रहा जा सके।
- सैन्टा रीटा प्रोजेक्ट सी डी एम का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें स्थानीय साझेदारों से चर्चा की सच्चाई पता लगाने का विश्लेषण चल रहा है।

भूमि के कानून व गिराने वाले स्वच्छ लोग: रिलाएन्स पावर के सासन अल्ट्रा मेगा कोयला पावर प्लांट के "स्वच्छ विकास की कहानी"

सौम्या दत्ता, कन्वीनर-
क्लाइमेट एन्ड एनर्जी ग्रूप, बियॉन्ड कोपेनहैगन कलेक्टिव, भारत
नैशनल कन्वीनर-भारत जन विज्ञान जाथा इन्डियन पीपल्स साइन्स कैम्पेन

चित्र: सौम्या दत्ता

सिंग्रौली, भारत का सासन कोयला पावर प्लांट, क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म के अर्न्तगत अपनी 'ज़्यादा कारगर बॉयलर पर आधारित कोयला पावर तकनीक' के कारण पारित है जो कि तथाकथित रूप में स्थानीय समाज के रोज़गार को सुधारती है। स्थानीय समाज के बीच जाने पर पता लगता है कि सासन के हज़ारों लोगों को निकाले जाने, धमकाए जाने, हिंसा व अधिकारियों के दुर्व्यव्हार के शिकार होने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

सासन प्रोजेक्ट इस बात का 'चमकता सितारा' है कि किस प्रकार यू एन एफ सी सी सी के क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) ने हज़ारों गरीब, कुपोषित, भुलाए जा चुके लोगों जिसमें कि सबसे गरीब आदिवासी शामिल हैं जो मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी सिंग्रौली में रहते हैं उनके लिए 'स्वच्छ व दीर्घकालिक विकास' संभव किया है। रिलयेन्स पावर ने सासन के अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यू एम पी पी) की स्थाप्ना भारत सरकार की यू एम पी पी स्कीम के तहत करने के लिए बोली को जीता। यू एम पी पी स्कीम का लक्ष्य है 4000 मेगावॉट के कोयला पावर प्लांट की स्थापना करना जिसमें कि कारगर सुपर किटिकल बॉयलर तकनीक का प्रयोग होता है।

रिलायेन्स के सासन प्रोजेक्ट को युनाइटेड नेशन के क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म स्कीम के तहत पारित किया गया है क्योंकि उसने दावा किया है कि वह ज़्यादा कारगर सुपर किटिकल कोयला तकनीक का प्रयोग कर रही है जिसके लिए सी डी एम से उसे अलग से आर्थिक मदद भी प्राप्त है। साथ साथ रिलायेन्स का यह दावा भी है कि सी डी एम प्रोजेक्ट की हैसियत से सासन ने साझेदारों की चर्चा के नियमों का मान रखा है व वह भारत में दीर्घकालिक विकास में भी मदद कर रही है। यह सी डी एम के अनाधिकृत प्रयोग को दिखाता है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना है ताकि दीर्घकालिक विकास संभव हो सके।

रिलायेन्स और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 11 जुलाई 2007 पर एक समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार रिलायेन्स को स्टेट रीहैबिलिटेशन पॉलिसी 2002 का पालन करना है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक उस परिवार से जिसकी जमीन ली गई है उसके एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी व उन्हें वैकल्पिक जगह पर ज़मीन देकर पुर्नवासित किया जाएगा व उनका घर बनाकर नई जगह पर स्कूल आदि की सुविधाएँ देकर बसाया जाएगा।

मार्च 2014 में मैंने सिंग्रौली का दौरा किया। हरहरवा, तियारा, सिद्धी खुर्द जैसे विस्थापित गावों में घर घर व परिवार परिवार जाकर हमने बिल्कुल अलग ही कहानियाँ देखीं व सुनीं। ज़बरदस्ती निकाले जाने से लेकर चर्चा का न होना व पुलिस और अधिकारियों द्वारा धमकाए जाना व अपनी भूमि और घरों के लिए मामूली सा हर्जाना लेकर चुप बैठने जैसी कई कहानियाँ। सरकारी अधिकारियों की जेबें गर्म करके कोई भी इसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को सख्त पुलिस कार्यवाही के नीचे दबा दिया गया। वह वायदा कि जिनकी ज़मीन ली जाएगी उन्हें नौकरी मिलेगी भी कभी पूरा नहीं हुआ। जो परिवार 4 से 5 कमरों के मकान में रहते थे उन्हें 2 छोटे छोटे बगैर किसी सुविधा वाले कमरों में रख दिया गया। हरहरवा

BEYOND COPENHAGEN

बियॉन्ड कोपेनहैगन कलैक्टिव (बी सी पी एच)

करीब 40 ऐसी संस्थाओं व नेटवर्कों का एक समूह है जो दीर्घ कालिक विकास, पर्यावरण और दीर्घकालिक कृषि से सम्बन्धित मुद्दों पर काम करता है।

में राख के तालाब को बनाने की शुरूआत लोगों के अपना सामान व मवेशी निकालने के पहले ही कर दी गई। सबके पास हरहरवा के धुरंधर सिंह जैसी लड़ने की क्षमता नहीं थी, जो कि गोंद जनजाति के थे, जिनका घर, कृषि भूमि जिस पर फसल खड़ी थी व बकरियाँ सभी तेज़ी से बढ़ते हुए उस राख के तालाब तले नष्ट होते जा रहे थे। उन्होंने कई महीने ज़िले के बड़े से बड़े सरकारी अफसरों, ज़िले के पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज व मुख्य मंत्री तक को शिकायतें दायर कीं। इन्हें व इनके पड़ोसियों को धमकाने के लिए 30 पुलिस वालों के एक दल को भेजा गया कि वे स्थान खाली करें अन्यथा..... बैयगा जनजातियों के गरीब व सीधे साधे शान्त लोगों ने बगैर लड़े ही मर जाना बेहतर समझा।

सिद्धी खुर्द में सती प्रसाद की भूमि को भी ले लिया गया और कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया गया क्योंकि यह 'खटा भूमि' थी यानि कि सरकारी भूमि जिसपर ये सालों से खेती कर रहे थे। इन्हें रिलायेन्स के एक ठेकेदार के पास दिहाड़ी मज़दूर की नौकरी मिली और इन्होंने कम तन्ख्वाह व काम के लम्बे समय को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया और ये अपने साथ ऐसे कई अन्य मज़दूरों को भी लेकर आए। जिस दिन वे गेट पर एक मीटिंग को सम्बेधित करने वाले थे पुलिस उन्हें उठा कर ले गई व उन्हें पीट पीट कर अधमरा करके बेहोश कर दिया और उन पर झूठे आरोप भी मढ़ दिए। उनके व उनके पिता की नौकरी चली गई और इन आरोपों के खिलाफ लड़ने में इनकी बचत भी जाती रही। यहाँ पर पुलिस के रवैये से सरकार व कम्पनी की मिली भगत का पता लगता है।
यह एक 'स्वच्छ चमकदार' उदाहरण है - धुँए से भरी काली रातों में, शोषित, सताए हुए 'रिलायेन्स के शरणार्थी' प्लॉट के चमकदार सोडियम बल्बों को चमकते हुए देख सकते हैं।

अदानी पावर लिमिटेड की स्वच्छ विकास प्रणाली का विरोधाभास

फाल्गुनी जोशी, गुजरात फोरम ऑन सी डी एम

चित्र : फाल्गुनी जोशी, राख को फेंके जाने का खुला मैदान

अदानी ग्रूप - यह संसार का पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसको यू एन एफ सी सी सी का सी डी एम प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन मिला है। यह मुंद्रा जनजाति की पर्यावरण व सामाजिक अखंडता का दायित्व लेने में असमर्थ है। दीर्घकालिक विकास व मामूली पर्यावरण के प्रभावों के लिए किए गए वायदे केवल कागज़ पर रह जाते हैं।

वन एवं पर्यावरण के केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा स्थापित एक कमेटी की रिर्पोट में अदानी पावर लिमिटेड (ए पी एल)के मुंद्रा में प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पर सामने आया है कम्पनी ने न केवल पर्यावरण क्लीयरेन्स के नियमों का पालन नहीं किया व उनका उल्लंघन किया है बल्कि उन्होंने पर्यावरण से सम्बन्धित कई प्रकियाओं की भी अनदेखी की है। परन्तु किसी तरह अदानी ग्रूप ने यू एन एफ सी सी सी को अपने रंगीन वायदों से लुभा कर रखा है।

अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (पी डी डी)में जो कि यू एन एफ सी सी सी के द्वारा फरवरी 2013 में पारित किया गया, उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह प्रोजेक्ट दीर्घकालिक विकास में सहयोग देगा और प्रोजेक्ट के

गुजरात फोरम ऑन सी डी एम व्यक्तियों और संस्थानों का एक नेटवर्क है जो पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। यह भारत में कार्बन मार्केट वॉच Carbon Market Watch Network's का केन्द्र बिन्दु भी है। यह फोरम विशेषकर गुजरात, भारत में सी डी एम के प्रोजेक्टों व उनके विकास की निगरानी करता है।

निर्माण के कारण पड़ने वाले प्रभाव बहुत कम होंगे और वे केवल तीन वर्षों के लिए ही होंगे जबकि प्रोजेक्ट 25 वर्षों तक चलेगा। इसके साथ के कार्य कलापों से होने वाला वायु प्रदूषण बहुत कम समय के लिए होगा और एक बार निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के बाद नहीं रहेगा।

पी डी डी में उन्होंने घोषणा की थी कि राख के उपयोग की वे एक योजना बनाएँगे परन्तु अप्रैल 18, 2011 को गुजरात पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड (जी पी सी बी) ने थर्मल पावर प्लॉट को निकलने वाले स्रावों के लिए एक नोटिस जारी किया। जी पी सी बी ने उड़ने वाले स्रावों को पाया जो कि राख से भरे डम्परों व अन्य भारी वाहनों के कारण हो रहे थे। आसपास के गावों के निवासियों के द्वारा शिकायत किए जाने पर बोर्ड ने साइट पर जाकर निरीक्षण भी किया। नतीजों से यह पता चला कि प्लॉट से उड़ने वाली राख एक बुखारी में जमा की जा रही थी।

पाइप लाइनों को बिछाने व सड़कों के निर्माण के लिए मैनग्रोवों को काटा गया, बोचा द्वीप के मैनग्रोव भी कट गए हैं। दिसम्बर 2010 में स्थानीय जनता की शिकायत को सुन कर पर्यावरण व वन मंत्रालय ने अपने अफसर के साथ एक टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। इस दौरे के बाद दी गई रिर्पोट में नियम पालन न होने के कई अवसर सामने आए।

अपने प्रोजेक्ट डेवेलपमेन्ट डिज़ाइन में ए पी एल ने कहा है कि "प्रोजेक्ट स्थानीय ग्रामीण जनता के लिए लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें प्रचुर मात्रा में रोज़गार के अवसर मिलेंगे और इस क्षेत्र के सामाजिक ढाँचे को भी मज़बूती प्रदान होगी।" इस क्षेत्र के मछुवारे शायद इस बात से सहमत न हों। 2008 में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि मछली पकड़ने के काम में उस क्षेत्र में बाधा आ रही हैं।

जब पहले मैं कुछ स्थानीय मछुवारों से मिली तो यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि वे इस प्लांट से खुश नहीं हैं। कई तो गुजरात के इन तटों पर कई पुश्तों से काम करते आ रहे हैं और साल के कई कई महीने वे तटों के नज़दीक ही रहते हैं। उनका रहन सहन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और उन ढेर सारे उन गॉव वालों का भी जिनकी भूमि एस ई ज़ेड (स्पेशल इकोनौमिक ज़ोन)ने हड़प ली है। उनके जीवन यापन का ज़रिया उनसे छीन लिया गया है। हालांकि इस विनाश से केवल मछुवारे ही चिंतित नहीं हैं।

यहॉ पर क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म का विरोधाभास देखा जा सकता है। कोयोटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 के अनुसार की सी डी एम के प्रोजेक्ट के कार्य को मेज़बान देश के दीर्घकलिक विकास में सहयोग देना चाहिए। परन्तु जैसा कि अभी तक देखा गया है कि वह प्रोजेक्ट की भूमि व जनता पर पड़ने वाले वास्तविक व विनाशकारी प्रभावों की रोक थाम व निरीक्षण करने में असमर्थ रहा है। संसार की सारी अच्छी भावना होने के बावजूद सी डी एम की मौसम परिवर्तन के प्रभावों के घटाव में कोई भूमिका तब तक नहीं होगी जब तक कि मेज़बान देश की जॉच एजेन्सियॉ अप्रभावी होंगी। या कहा जाए कि वह सत्य से अपनी ऑखें मूँद लेना चाहती हैं।

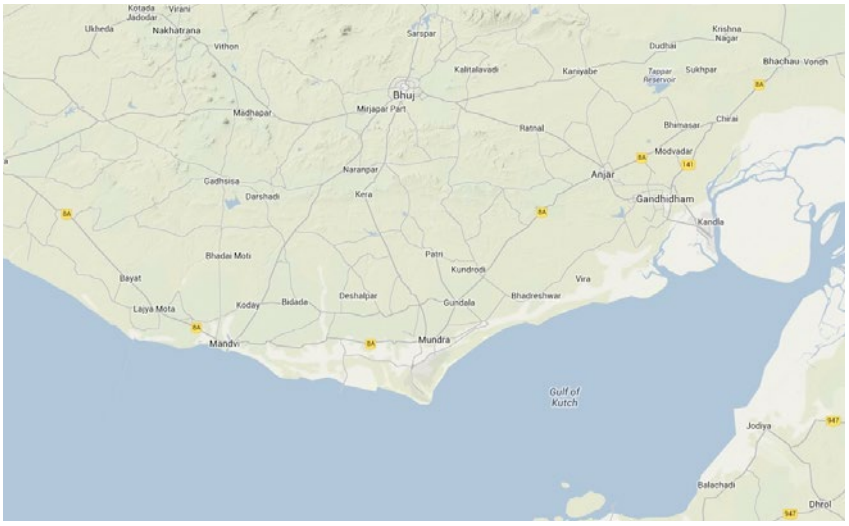

गूगल मैप्स: कच्छ की खाड़ी, भारत

किसान, मवेशी पालने वाले, तटों पर नमक का काम करने वाले सभी इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें से एक ने घोषणा की है कि "हम मानते हैं कि हमारा रोज़गार प्रभावित हुआ है और हमें लगता है कि भविष्य में स्थिति और भी गंभीर होती जाएगी क्योंकि मुँद्रा तालुका के तटों पर तेज़ी से और टेढ़े मेढ़े ढंग से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाला औद्योगिकरण होता जा रहा है।"

क्लाइमेट स्मार्ट मिटिगेशन की कमियाँ

उर्सका ट्रन्क, पॉलिसी इन्टर्न,
कार्बन मार्केट वॉच

चित्र lowcarbonkid.blogspot.be

क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे मौसम परिवर्तन के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह हाल के वर्षों में कृषि विकास को लेकर होने वाले राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय परिचर्चाओं का विषय रहा है। कई साझेदार इसे कार्बन बाज़ार से जोड़ते हैं, परन्तु इसकी अनुचितता को लेकर वाद विवाद चल ही रहे हैं।

कृषि को कई मुद्दों पर चर्चा का विषय बनाए जाने के कारण क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को (सी एस ए) को खाद्य सुरक्षा, अनुकूलन और घटाव की तिहरी चुनौती से निपटने के लिए लाया गया जिससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो, मौसम परिवर्तन के प्रति लचीलापन आए और ग्रीन हाउस गैस के स्रावों में कमी आए या वे न उत्पन्न हों। 2010 में फूड एन्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन (एफ ए ओ) के द्वारा इसे लाए जाने के बाद से ही इस सिद्धान्त पर दुनिया भर में बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह इस मायने में सबसे अलग है कि यह कृषि के किसी विशेष तरीके का सुझाव नहीं देता परन्तु उन प्रणालियों और तरीकों की अगुवाई करता है जो किसी विशेष स्थान की स्थितियों के अनुरूप हों। इस तरह की प्रणाली के लिए अलग अलग क्षेत्रों के बीच सहयोग और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में भी आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, नवीनता, अनेक साझेदारों की प्रणालियों और क्षमता में विकास की आवश्यकता होती है।

यह एक चुनौतिपूर्ण कार्य होगा, न केवल इसलिए कि इसके उपकरण व अनुभव उपलब्ध नहीं हैं बल्कि इसलिए भी कि यह सिद्धान्त अपने में ही अस्पष्ट सा है। हालांकि अपने लक्ष्य व उददेश्यों में वह स्पष्ट है, इसमें कोई भी ऐसी प्रणाली को शामिल नहीं करता जब तक कि वह भूमि कार्बन सिक्वेस्टेरियन को बढ़ावा न देती हो। इस कारण यह दीर्घकालिक कृषि के लक्ष्य जैसे कि जी एम ओ, कीटनाशक, फर्टीलाइज़र आदि के खिलाफ व्याख्या व प्रयोग करने के तरीकों का विरोधी हो सकता है। पर्यावर्णीय प्रभावों के अलावा इन प्रणालियों से किसानों कि बाहर के स्त्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है। यह एक चुनौती है जिसका वे सामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही स्थिति के अनुरूप विश्लेषण के द्वारा सही कृषि प्रणालियॉ व तकनीकें निर्धारित करना बहुत ज़रूरी तो होता है परन्तु हमेशा यह सफल नहीं होता।

व्र्ल्ड बैंक और एफ ए ओ सी एस ए को भूमि कार्बन बाज़ार से जोड़ कर घटाव के लिए इसकी कड़ी पैरवी करते हैं। उनका मानना है कि उन प्रकियाओं को जो कि भूमि में से कार्बन को अलग करती हैं को आर्थिक प्रलोभन देकर कृषि विकास के क्षेत्र में ज़रूरी निवेश संभव होगा और खाद्य सुरक्षा, मौसम अनुकूलन और घटाव की तिहरी जीत होगी। इन्हें कई साझेदारों, एन जी ओ, प्रोजेक्ट विकासर्त्ताओं, प्रबन्धकों, सलाहकार कम्पनियों व तकनीकी परामर्शदाताओं का क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म में कृषि को एक संभावित क्षेत्र की तरह स्थापित करने के लिए सहयोग प्राप्त है।

हालांकि सी एस ए के अर्न्तगत कार्बन फाइनेन्स स्कीमों को लागू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। कई लोग इन केडिटों की कम मॉग पर ध्यान नहीं देते। कार्बन बाज़ार अभी नीचे जा रहे हैं और इस बात की आशा कम ही है कि भूमि कार्बन की मॉग बढ़ेगी, प्रोजेक्टों को आर्थिक मदद की उम्मीद कम है। साथ साथ कार्बन प्रोजेक्ट कार्बन केडिट उत्पन्न करने के लिए कई वर्षों का समय लेते हैं इसलिए उन निवेषकों की कमी रहती है जो प्रोजेक्टों को चलाने के लिए पहले से पैसा दे दें। एक बात यह भी होती है कि सी एस ए की प्रणाली अपनाने के बाद पहले पॉच सालों तक किसान को सामान्य से कम आमदनी ही होती है। किसानों को कार्बन ऑफसेटिंग से मिलने वाला पैसा बहुत ही कम होता है। केन्या में व्र्ल्ड बैंक द्वारा सहायता दिया हुआ पायलेट प्रोजेक्ट से एक किसान को प्रति वर्ष 1 से 5 डॉलर ही मिल पाता है। एक और चिंता जो इसके साथ आती है वह है सीक्वेस्र्टड कार्बन को नापने व उसके सत्यापन के ज़्यादा दाम व अनिश्चितता को लेकर। सी जी आई ए आर (कन्सलटेटिव ग्रुप ऑन इन्टरनैशनल एग्रीकल्चरल रीसर्च) के मौसम परिवर्तन पर अनुसंधान कार्यक्रम, एग्रीकल्चर एन्ड फूड सिक्योरिटी एफ ए ओ जैसे सहयोगी मिलकर इस चुनौती का सामना कार्बन अकाउन्टिंग के लिए सरल तरीके निकाल कर करने का प्रयास कर रहे हैं। व्र्ल्ड बैंक व एफ ए ओ और कई अन्य भी इन चुनौतियों को समझते हैं और इस बात पर प्रश्न भी उठाते हैं कि छोटे किसानों के लिए कार्बन बाज़ारों का क्या लाभ है, पर फिर भी वे सी एस ए के बाज़ार पर आधारित

THE CARBON MARKET WATCH NETWORK

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क संसार के उत्तर व दक्षिण के एन जी ओ और शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्टों व योजनाओं के विषय में जानकारियों और सूचनाओं को आपस में बॉटा जा सके। इसका उद्देश्य कार्बन बाज़ार के विकास में भद्र समाज की आवाज़ को मज़बूत करना है

सिक्वेस्टेरियन की पैरवी करते हैं।

घटाव को प्राथमिकता देना विकासशील देशों के समुदायों के लिए काफी बढ़ा बोझ बन सकता है विशेषकर इसलिए कि कृषि के भूमि कार्बन प्रोजेक्टों को बहुत सारे किसानों को एक साथ एकजुट होकर एक स्कीम के अर्न्तगत 'कार्बन पूल' में आना होता है। इससे सामाजिक मतभेद पैदा हो सकते हैं व भूमि के कार्यकाल का उल्लंघन हो सकता है व खाद्य उत्पादन में भी बदलाव आ सकते हैं ताकि कार्बन सिंक को शामिल किया जा सके।

नए उपाय सुझाने के बावजूद सी एस को कार्बन बाज़ारों के साथ प्रस्तुत करने के अलावा चिंता का विषय यह भी है कि इससे छोटे किसानों का रोज़गार छिन जाएगा क्योंकि उनके खेत कार्बन सिंक में तबदील हो जाएँगे जिससे कि उनकी सामाजिक व पर्यावर्णीय अखंडता को खतरा पहुँचेगा। यह विकसित देशों के स्रावों में घटाव लाने के लिए विकासशील देशों की गरीब जनता के सहने के लिए बहुत ज़्यादा है।

क्या कार्बन केडिटों ने छोटे व हाशिए के किसानों को लाभान्वित किया है?

रंजन के पान्डा, वॉटर इनिशियेटिव्स ऑफ ओदिशा के कन्वीनर, देश के अग्रणी जल अनुसंधानकर्त्ता व कार्यकर्त्ता और सीनियर स्वतन्त्र पत्रकार

चित्र: प्रिंट वीक इन्डिया

वॉटर इनिशियेटिव ओदिशा (डब्लू आई ओ) एक भद्र समाज संस्थाओं, किसानों, शिक्षाविदों, मीडिया व अन्य चिंतित व्यक्तियों का राज्य स्तरीय गठबन्धन है जो पानी, पर्यावरण व मौसम में बदलाव के मुद्दों के लिए राज्य में अब करीब दो दश्कों से कार्यरत है।

उन गॉवों में दोबारा जाने पर जहॉ पर जे के पेपर मिल्स के वनारोपण और वनीकरण के तथाकथित सी डी एम प्रोजेक्टों को कार्यान्वित कर रही है मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट असफल रहे हैं, विशेषकर तउन लोगों के लिए जो तथाकथित लाभान्वित हुए हैं, और मौसम के उस घटाव के लिए जिनके लिए इन्हें बनाया गया था।

अक्टूबर 2010 में जब हम भारत में ओदिशा के दूर दराज़ गॉव कौगुड़ा गए मैंने पाया कि कई सारे छोटे और हाशिए के किसान जो कि अपने गुज़ारे के लिए कृषि पर निर्भर थे वे विकास के एक भ्रांतिजनक डिज़ाइन के शिकार हो गए थे जिसे कि 'युकेलिप्टस बागान' का नाम दिया गया है और जो क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) के अर्न्तगत जे के पेपर मिल्स के वनीकरण व वनारोपण को बढ़ावा देने का भाग है। मैं अभी हाल ही में इसी इलाके के एक दौरे से वापस आया हूँ और मैंने पाया कि स्थिति ज़्यादा कुछ बदली नहीं है। प्राकृतिक खेतों के स्थान पर कम्पनियों को लाभान्वित करने वाला व्यवसायिक मोनोकल्चर आ गया है, किसान उन लोनों के तले दब गए हैं जिनका भुगतान वे नहीं कर पाते और सी डी एम के प्रोजेक्ट दस्तावेज़ों में किए गए बड़े बड़े वायदों के बावजूद प्रोजेक्ट की प्रकिया में कहीं भी जनता की भागीदारी दिखाई नहीं देती।

इस प्रोजेक्ट के विशेष कार्यों में ग्रीन हाउस गैसों को, जिन्हें कि नापा जा सके, जिनकी जॉच की जा सके और जिनका सत्यापन हो सके, उन्हें सिंक के माध्यम से निकालने के लिए वनीकरण का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करना, बगानों का विकास व एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल का विकास करना,जो कि किसानों को अनेक प्रकार के लाभ जैसे कि शहतीर, जलाने की लकड़ी और वनों से प्राप्त होने वाले गैर लकड़ी की सामग्री प्रदान कर सके। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों से गरीब किसानों के लिए कार्बन राजस्व से अतिरिक्त आय प्रदान करवाना व अन्य भी बहुत कुछ के द्वारा यह सी डी एम का एक आदर्श प्रोजेक्ट था। फिर भी, वेदा क्लाइमेट चेन्ज

WATER INITIATIVES

वॉटर इनिशियेटिव ओदिशा (डब्लू आई ओ) एक भद्र समाज संस्थाओं, किसानों, शिक्षाविदों, मीडिया व अन्य चिंतित व्यक्तियों का राज्य स्तरीय गठबन्धन है जो पानी, पर्यावरण व मौसम में बदलाव के मुद्दों के लिए राज्य में अब करीब दो दश्कों से कार्यरत है।

सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने व्र्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति को 2012 में लिखे एक पत्र में दिखाया है कि तब तक कोई भी कार्बन राजस्व नहीं अर्जित किया गया था।

2010 में हमने पहले से ही यह देख चुके थे कि कैसे गरीब किसानों को अपनी कृषि भूमि को छोड़ना पड़ा था व उन्हें नौकरियों की खोज में बाहर निकलने को विवश होना पड़ा था क्योंकि उनकी यूकेलिप्टस की खेती नष्ट हो जाने के कारण उनके पास अपने लोन चुकाने का अन्य कोई ज़रिया नहीं था। साथ साथ हमें यह भी बताया गया कि कैसे कम्पनी की जादुई पौधें नाकामयाब हो गई और कम्पनी सभी वायदे करने के बाद भी गरीब किसानों की मदद करने के लिए सामने नहीं आई। पॉच गावों जहॉ कि यह प्रोजेक्ट चल रहा है वहॉ के हाल के दौरों से भी यहीं समस्या सामने आई है।

व्र्ल्ड बैंक का पैसा

कष्ट अभी भी जस का तस बना हुआ है परन्तु क्या वे कार्बन केडिट जो कि कम्पनी ने जमा किए हैं वह प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को भी मिले हैं? हमें तीन किसानों को दिए गए तीन चेकों का साक्ष्य मिला है जिसमें कि एक बड़ा व दो छोटे किसान हैं। बड़े किसान को पिछले साल तीन हज़ार रूपए भारतीय मुद्रा में मिले (जो कि लगभग 50 यू एस डॉलर के बराबर होते हैं)। एक छोटे किसान को भी इतना ही पैसा मिला व दूसरे को दो हज़ार रूपए (जो कि लगभग 33/34 यू एस डालर के बराबर होते हैं)। हालांकि एक छोटे किसान को दिया गया चेक बाउन्स हो गया और वह पैसा अभी उसे मिलना बाकी है।

कम्पनी के अफसरों ने आकर उन्हें यह चेक देते हुए कहा कि "व्र्ल्ड बैंक ने हमें यूकेलिप्टस उगाने के अच्छे काम को देखकर यह पैसा दिया है"। इस बात पर कोई स्पष्टता दिखाई नहीं देती कि लगभग 80.000 कार्बन केडिट जो कि अब तक अर्जित किए जा चुके हैं उसके पैसों को बॉट दिया गया है। किसानों को यह भी ठीक से पता नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिला और यह मुख्य बात कि वह उन्हें क्यों मिला और जो अन्य यही काम कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं मिला। इससे यह स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि या तो जनता के साथ साझेदारी नहीं की गई या फिर लोगों को सी डी एम के प्रोजेक्ट के विषय में व उससे उन्हें मिलने वाले लाभ के विषय में ठीक से बताया नहीं गया।

अन्त में हम कह सकते हैं कि किसानों को यहॉ वहॉ थोड़ा बहुत लाभ मिलने से उन छोटे किसानों की भरपाई नहीं हुई है जो कि कम्पनी के लिए 'व्यवसायिक मोनोकल्चर'की तरफ आए।
प्रोजेक्ट दोषपूर्ण बना हुआ है, जो कि कम्पनी के लाभ के लिए गरीब किसानों को हाशिए पर लाकर व्यवसयिक मोनोकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। तथ्य यह है कि ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा सताए गए किसान न्याय के लिए किसी के पास जा सकें। इस प्रकार के केसों में सी डी एम प्रणाली में प्रोजेक्टों को रद्द करने का तरीका होना चाहिए।

भारत में सी डी एम प्रोजेक्टों की एक यात्रा

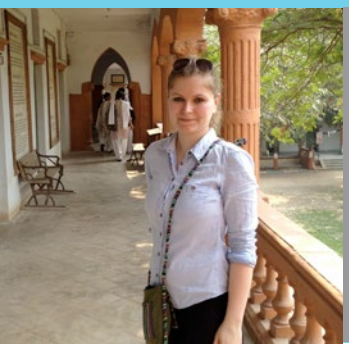

जूलिएन वॉएट,
अनुसंधानकर्त्ता, कार्बन मार्केट वॉच

फरवरी 2014 में मैं भारत में क्लीन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्टों पर अनुसंधान व उनके दीर्घकालिक विकास के लाभों के विषय में जानने के लिए मैं वहॉ गई थी। अपने तीन महीने के दौरे में मुझे भारतीय संस्थाओं व कार्यकर्त्ताओं के साथ काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैंने पाया कि एक मज़बूत नेटवर्क और अच्छा तालमेल व जागरूकता बढ़ाना ही किसी भी सफल भद्र समाज के कार्यों के सबसे ज़रूरी सूचक होते हैं।

सी डी एम की कमियॉ व मौके

एक दोहरे उददेश्य का पालन करते हुए सी डी एम को इस तरह से बनाया गया था कि विकासशील देशों में दीर्घ कालिक विकास लाया जा सके व औद्योगिक देशों में स्रावों की कमी को कम से कम दामों में कारगरता से प्राप्त किया जा सके। हालांकि जैसा कि कई बार पहले लिखा जा चुका है और जो मैंने भी अपने इस अनुसंधान दौरे में पाया वह यह है कि कई अच्छे प्रोजेक्टों के बाद भी सी डी एम के बहुत सारे प्रोजेक्टों के कार्य दीर्घकालिक

चित: जूलिएन वॉएट, सासन कोयला पावर प्लांट के पास एक गॉव में

कार्बन मार्केट वॉच में ट्रेनिंग के अवसर:
हमारा संस्थान जुलिएन जैसे नौजवान मौसम सक्रियतावदियों की दक्षताओं को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है।
अधिक जानकारी के लिए
recruitment@carbonmarketwatch.org
पर ईमेल करें

विकास मेज़बान देशों के लिए नहीं लेकर आते और स्थानीय जनता पर उनका प्रभाव नकारात्मक ही होता है। इस बाद वाली बात का सबसे अच्छा उदाहरण सिंग्रौली का सासन कोयला पावर प्रोजेक्ट है जिसके कई नकारात्मक प्रभाव स्थानीय जनता और प्रकृति पर पड़े हैं (ऊपर के लेख भूमि के कानून व गिराने वाले स्वच्छ लोग को पढ़ें)।

वर्तमान में सी डी एम की नियमावली में जो मुख्य कमियाँ सामने आई हैं वे हैं पंजीकृत **7300** प्रोजेक्टों के लिए लाभ की जॉच प्रकियाओं में कमी और प्रभावित जनता की सुनवाई के लिए प्रणाली का न होना।
2014 में सी डी एम के तौर तरीके और प्रणालियों में सुधार लाने का विचार है व भद्र समाज के लिए बेहतर नियमों को लाने का अनोखा अवसर प्रदान किया जाएगा।

इसके लिए कार्बन मार्केट वॉच ने भद्र समाज के लिए भारत के भूमि अधिकारों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया ताकि जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके व अलग अलग दक्षता वाले नेटवर्क के सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखा जा सके। इस वर्कशॉप व मेरे भारत में किए गए अनुसंधान के नतीजों ने भद्र समाज के एक मज़बूत संगठन की ज़रूरत को दिखाया जो कि आने वाली मौसम वार्ता में सी डी एम में ज़रूरी सुधारों को लाने पर ज़ोर लगा सके।

पुणे में भद्र समाज की वर्कशॉप

20 से **22** फरवरी तक पुणे में कार्बन मार्केट वॉच व भद्र समाज एक कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए जहॉ पर भारत में भूमि अधिकारों पर पड़ने वाले कार्बन बाज़ारों के प्रभावों पर चर्चा की गई। इस वर्कशॉप में भारत के अलग अलग स्थानों के **50** से भी अधिक लोगों ने भाग लिया और भूमि अधिकारों के अलग अलग मुद्दों पर जानकारियों का आदान प्रदान किया व भविष्य के कार्यों और मज़बूती के लिए अपनी ताकत को बनाने पर बल दिया। वर्तमान कमियों को उजागर करके व भारत में मौसम में घटाव के प्रोजेक्टों के अनुभवों को लेकर व नेटवर्क के सदस्यों की अलग अलग विशेषता को ध्यान में रख कर इस वर्कशॉप का सबसे बड़ा नतीजा यह निकला कि भाग लेने वालों के समूहों में आपसी तालमेल व मज़बूती लाने से ही कारगर काम भविष्य में किया जा सकता है। भविष्य के भद्र समाज के कार्य की गुणवत्ता व एक साथ मिलकर बात रखने का लाभ तभी मिल सकता है जब इस संगठन में आपस मे तालमेल व मज़बूती हो।

भारतीय एन जी ओ के साथ काम

वर्कशॉप के बाद मुझे कई उन भारतीय समूहों के साथ काम करने का सुअवसर मिला जो कि पहले से ही सी डी एम प्रोजेक्टों पर अनुसंधान कर चुके हैं। अहमदाबाद से दिल्ली व मुम्बई और सिंग्रौली की मेरी यात्रा के दौरान मैं कई स्थानीय समूहों से भी मिली जो सी डी एम प्रोजेक्टों के स्थानीय जनता व पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को चुनौती देने के सशक्त व प्रभावकारी अभियान चला रहे हैं। भारत के नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किया जा रहा काम प्रेरणादायक है और भारत में सी डी एम से पड़ने वाले प्रभावों के विषय में ज़रूरी जागरूकता भी प्रदान करता है।

चाहिए व गठबंधनों को मज़बूत करके अलग अलग विशेषता वाले स्थानीय समुदायों में तालमेल लाना चाहिए। प्राप्त दक्षता का प्रयोग करके ही संगठित कार्यों को मज़बूती मिलेगी। नतीजतन मज़बूत संगठन और जानकारियों को आपस में बॉटने से भद्र समाज की शक्ति बढ़ेगी और सी डी एम में सुधार की ओर व भविष्य में मौसम वार्ता की ओर कदम बढ़ाए जा सकेंगे।

पुणे में हुई भद्र समाज की वर्कशॉप का केन्द्र भारत में भूमि अधिकारों पर पड़ने वाले कार्बन बाज़ारों के संभावित नकारात्मक प्रभाव था और विशेषकर सी डी एम व अन्य ऑफ्सेटिंग प्रणालियों के सामूहिक भूमि व हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव रहे। कई मुद्दों पर चर्चाएँ हुईं जैसे कि बायो डाइवर्सिटी, नियम कानून, सी डी एम प्रोजेक्टों का अनुभव व कृषि क्षेत्र। प्रोजेक्ट के सदस्यों ने एक समर्पित समूह बना कर ठोस कार्यों को करने का निश्चय किया ताकि अच्छे व्यवहारिक तरीकों का एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया जा सके जो जनता की राय रखे और विशेषकर दीर्घकालिक विकास के लाभों की जॉच करे।

सासन कोयला पावर प्लांट सिंग्रौली, भारत

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड के लिए 'बहिष्करण लिस्ट'

मारियेल विलेला, क्लाइमेट पॉलिसी कैम्पेनर, जी ए आई ए-ग्लोबल अलायेन्स फॉर इन्सिनरेटर ऑल्टरनेटिव्स

चित्र : मारियेल विलेला, सड़क से सॉंघी सीमेन्ट प्लॉट का एक दृष्य

150 से अधिक पर्यावर्णीय व सामाजिक न्याय के संस्थानों ने ग्रीन क्लाइमेट फंड (जी सी एफ) से गुहार लगाई है कि वे अपनी पॉलिसियों के अर्न्तगत एक 'बहिष्करण' लिस्ट तैयार करें ताकि पर्यावर्णीय, सामाजिक, लिंग भेद व आर्थिक सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और ये सभी परिपाटियों का पालन सभी अर्न्तराष्ट्रीय विकास एवं आर्थिक संस्थानों द्वारा अपनाई जाए। 18 से 21 मई के बीच हुई रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सॉन्डो में जो अन्तिम बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें जी सी एफ की इस बहिष्करण लिस्ट की मॉग और भी तेज़ी के साथ व बढ़ चढ़ कर सुनाई दी।

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड जो कि यू एन एफ सी सी सी के ढॉचे के तहत एक आर्थिक संस्थान है जिसका निर्माण विकासशील देशों में प्रोजेक्टों, प्रोग्रामों, पॉलिसियों और अन्य मौसम घटाव व अनुकूलन के कार्यों को आने वाले भविष्य के समय में मौसम वित्त का सतोत बनाने की योजना है। इस फन्ड के इस अधिदेश "स्रावों को कम करने की ओर झुकाव लाना और ऐसे मार्ग को बढ़ावा देना जो कि मौसम के लिए लचीला हो" को घटाव व अनुकूलन देने के अत्यन्त ऊँचे लक्ष्य पर नज़र रखने की दिशा में एक कदम की तरह देखना चाहिए।

परन्तु फिर भी मौसम की इतनी कारगर प्रतिकिया जी सी एफ की इस क्षमता पर निर्भर करेगा कि आर्थिक निवेशों को दीर्घकालिक व स्वच्छ ऊर्जा के प्रोजेक्टों में लगाने को अग्रसर किया जाए और कम कार्बन वाले विकास के मार्ग का निर्माण किया जाए। इस तरह विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। साथ साथ उन्हें यह सांत्वना भी दी जाए कि विनाशकारी प्रोजेक्टों को लाभ हरगिज़ प्राप्त नहीं करवाया जाएगा।

कई बार अक्सर इन केसों में ऐसा हो जाता है कि मौसम व विकास का वित्त विनाशकारी ऊर्जा प्रोजेक्टों को 'कम कार्बन' वाली ऊर्जा के रूप में या फिर 'वैकल्पिक ऊर्जा' की तरह या 'कम स्राव' निकालने वाले ईंधन के रूप में बढ़ावा देने लगते हैं जबकि वे तब भी ग्लोबल जी एच जी स्रावों को बढ़ाते हैं और स्थानीय समाज के लिए गम्भीर पर्यावर्णीय व आर्थिक दुष्प्रभाव लेकर आते हैं।

उदाहरण के लिए अवशेष जैसे कि रासायनिक कीटनाशक,ज़हर से भरा हुआ प्लास्टिक व इस प्रकार के अन्य अवशेषों को भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जेसे कि सीमेन्ट की भट्टियों, बायोमास के प्लांटों व कोयला पावर प्लांटों में 'फॉसिल ईंधन' के विकल्प के तौर पर जलाया जा रहा है। जैसे जैसे कि रूढ़िगत ईंधनों के दामों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है वैसे वैसे इन सशक्त उद्योगों ने अवशेषों को जलाने के लिए ज़रूरी आर्थिक प्रलोभनों को पहचान कर उन्हें मौसम के अनुकूल बना कर प्रस्तुत किया है। ये अवशेष अक्सर परम्परागत ईंधनों से सस्ते होते हैं और इन्हें पैदा करने वालों को इनके निस्तारण के लिए पैसा देने की आदत होती है। साथ साथ उद्योगों को ज़हरीले कूड़े को जलाने से फैलने वाले प्रदूषण के खिलाफ नियमों के सख्ती से पालन न होने से लाभ ही होता है।

इन गलत राह पर चलने वाली मौसम की पॉलिसियों के गम्भीर परिणाम होते हैं। जी ए आई ए व कम्यूनिटी एन्वायरॉन्मेन्टल मॉनिटिरिंग के नवीनतम फील्ड अनुसंधान 'कॉन्क्रीट ट्रबल्स' को भारत में उन सीमेन्ट प्लांटों जो अवशेषों को जलाते हैं उनके आसपास की भूमि से लिए गए मिट्टी के नमूनों में भारी मात्रा में ज़हरीले स्राव पाए गए। इस रिर्पोट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि परीक्षण प्रणाली के भी बहुत कमज़ोर होने के कारण यह परिपाटी वर्षो से चली आ रही है। अवशेषों को जलाने से फैलने वाला प्रदूषण सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इन सीमेन्ट की भट्टियों व अवशेषों से चलने वाले ऊर्जा के प्लांटों के आसपास के इलाकों में रहने वाली जनता के ऊपर पड़ता है। इन इलाकों में बड़ी मात्रा में सॉस की तकलीफों, त्वचा के रोग, खेती की हानि और गम्भीर औद्योगिक एक्सिडेंटों ने लोगों की जाने ली हैं।

gaia

जी ए आई ए दुनिया भर के 800 से भी ज़्यादा समूहों, गैर सरकारी संस्थानों और 93 देशों में रह रहे उन लोगों का एक गठबंधन है जो केवल एक ऐसी ज़हर मुक्त दुनिया देखना चाहते हैं जिसमें अवशेषों की भट्टियॉं न हों।

दुर्भाग्य से ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड ने सॉन्दो में अपनी पिछली मीटिंग में भद्र समाज की 'बहिष्कार लिस्ट' की मॉंग को नहीं माना था और यह देखा जाना अभी भी बाकी है कि फन्डों का बॅंटवारा किस आधार पर किया जाएगा।

सड़क से सॉंघी सीमेन्ट प्लॉट का एक दृष्य

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड को इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए परन्तु इसके स्थान पर वास्तविक स्वच्छ ऊर्जा व कारगर संसाधनों को सहारा देने की बात करनी चाहिए। सी सी एफ की प्रबन्धन प्रणाली के द्वारा की गई घोषणा व यू एन एफ सी सी सी के सिद्धान्त स्पष्ट हैं - ग्रीन क्लाइमेट फन्ड के बदलाव लाने वाले प्रभावों के लिए उसे सबको आसानी से ऊर्जा प्रदान कराने के लिए ऊर्जा के उन उपायों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो कि "सामान्य व्यवसाय" की तरह हों। यह एक ज़रूरी लक्ष्य है जिसको कि ऊर्जा के उन दीर्घकालिक उपायों की मदद से लाना चाहिए जो कि स्वच्छ व जनता के हित के हों।

दुर्भाग्य से ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड ने सॉंग्दो में अपनी पिछली मीटिंग में भद्र समाज की 'बहिष्कार लिस्ट' की मॉंग को नहीं माना था और यह देखा जाना अभी भी बाकी है कि फन्डों का बॅंटवारा किस आधार पर किया जाएगा।

क्योंकि फन्ड ने अभी हाल में ही काम करना आरम्भ किया है इसलिए बोर्ड के पास अभी भी अपनी बात पर पुर्नविचार करने का पर्याप्त समय है ताकि वह फन्ड के हित में काम कर सके और उसकी इज़्जत व नाम का बचाव किया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि धन उन लोगों तक पहुँच रहा है जहॉं उसे पहुँचना चाहिए और साथ साथ वास्तविक दीर्घकालिक मौसम में घटाव की पहल को बढ़ावा दिया जा सके।

सड़क से सॉंघी सीमेन्ट प्लॉट का एक दृष्य

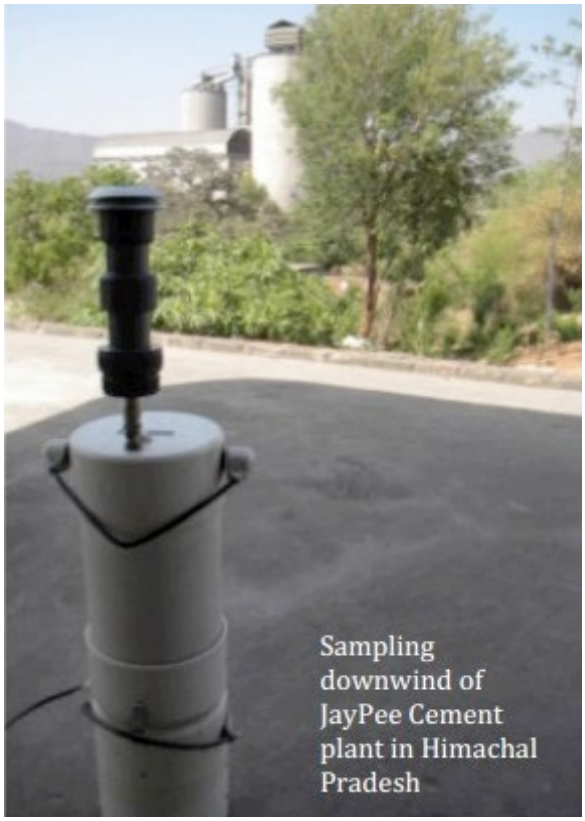

हिमाचल के जे पी सीमेन्ट प्लांट में हवा के रूख का नमूना लेना

भारत में अवशेषों को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि प्रदूषण का बड़ा कारण बनता जा रहा है यह जी ए आई ए व सी ई एम की एक रिपोर्ट से पता लगा है। ऊपर: सड़क से सॉंघी सीमेन्ट प्लांट का एक दृष्य; नीचे दॉंए: जे पी सीमेन्ट प्लांट, हिमाचल प्रदेश; नीचे बॉंए: हिमाचल प्रदेश के जे पी सीमेन्ट प्लांट की सैम्पलिंग (चित: मारियल विएला)

पारखी नज़र!

कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़

सूचनापट्ट

यूरोपियन पार्लियामेन्ट के 2014 के चुनावों के आते ही ई यू के खिलाफ व दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए लाभ दिखाई देने लगे हैं और भविष्य में मौसम योजनाओं को पारित करना कठिन सा प्रतीत होने लगा है।

11 जून को बॉन क्लाइमेट चेन्ज कॉन्फ्रेन्स में हमारे सह कार्यक्रम "सी डी एम व मौसम घटाव प्रणालियों में स्थानीय साझेदारों की परिचर्चा के सबसे सही तरीके" इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी आमन्त्रित हैं।

20 से 22 फरवरी 2014 को कार्बन मार्केट वॉच ने कई भारतीय समूहों के साथ मिलकर भूमि अधिकार व कार्बन बाज़ारों के ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप की रिर्पोट आप यहाँ here पढ़ सकते हैं।

21 मई से यू एन के ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जी सी एफ)के कार्यान्वित होने के साथ ही वह दान देने वालों से पैसा लेने को तैयार हो गया है। बोर्ड के द्वारा तय की गई आठ ज़रूरतों को लेकर अभी भी यह खतरा बना हुआ है कि जी सी एफ तथाकथित स्वच्छ कोयला, गैस, न्यूक्लियर पावर व अन्य गन्दी ऊर्जाओं का सहयोग करेगा।

सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड 28 मई से 1 जून 2014 के बीच ग्वाटामाला में अत्यन्त प्रतियोगी सैन्टा रीट हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के पंजीकरण के निवेदन पर निर्णय लेने के लिए मिला।
हमारी वेबसाइट

मानवाधिकारों को लेकर गहन चिंता के बावजूद भी सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने 1 जून 2014 को ग्वाटामाला के सैन्टा रीटा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लॉट को पंजीकृत करने का निर्णय ले लिया है। यह एक बार फिर इस बात का सूचक है कि सी डी एम के वर्तमान नियम बहुत कमज़ोर हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। पेज 5 पर लेख को पढ़ें।

The Women's Room जो कि उन्मुक्त विचारों वाली, बुद्धिमान, सुरूचिपूर्ण व व्यस्क महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन समूह बनाया गया है उसे भी देखें।

कार्बन मार्केट वॉच के विषय में

कार्बन मार्केट वॉच कार्बन बाज़ारों के विकास पर एक निष्पक्ष विचारधारा प्रस्तुत करता है और पर्यावरण व सामाजिक निष्ठा को मज़बूत बनाने की वकालत करता है। कार्बन मार्केट वॉच की स्थापना नवम्बर 2012 में सी डी एम वॉच के कार्यों को सी डी एम से आगे लेकर जाने के लिए की गई।

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर व दक्षिण तक फैले एन जी ओ व शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन आफसेट प्रोजेक्टों के विषय में जानकारी व चिंताओं को आपस में बाँटा जा सके। इसका लक्ष्य भद्र समाज की आवाज को कार्बन बाज़ार के विकास में मज़बूती प्रदान करना है।

नेटवर्क से जुड़ें

पारखी नज़र के लिए आवेदन निम्न पर ईमेल करके करें!

Follow us on

ट्विट्टर पर हमसे यहाँ जुड़ें
ट्विट्टर का हायपर लिंक

कार्बन मार्केट वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@carbonmarketwatch.org
www.carbonmarketwatch.org

इस पत्रिका में रखे गए विचार व अनुभव लेखकों के हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वे विचार व दृष्टिकोण कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क के भी हों।